उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–23/2019–20

बड़ा बाबूलाल राय वगैरह

बनाम

वासुदेव साह वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक 10.03.21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया बड़ा बाबूलाल राय पे0–स्व0 चोरासी राय वो जमनी देवी पति–छोटा बाबूलाल राय वो अमीन राय वो जलभरी राय वो शंकर राय वो जागेश्वर राय पे0–स्व0 भोला राय सभी साकिनान पैरडीह थाना–गोड्डा नगर जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–66/2016–17 के आदेश दिनांक–07.08.2019 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–66/16–17 के आदेश दिनांक–07.08.19 द्वारा अपीलकर्त्तागण के आवेदन खारिज किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा पैरडीह नं0–511 जमाबंदी सं0–65 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मालो राय के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता बड़ा बाबूलाल राय जमाबंदी रैयत का पोता है एवं अन्य अपीलकर्त्तागण उनका छर पोता है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष बिल्कुल ही बाहरी व्यक्ति है। उनलोगों का उस जमीन पर किसी तरह का कोई हक एवं दावा नहीं है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा जबरन अपीलकर्त्तागण के पैतृक जमीन को कब्जा किया है, जबकि सम्पूर्ण जमाबंदी की जमीन का मालगुजारी रसीद अपीलकर्त्तागण के द्वारा प्राप्त कर चुके है। उनका आगे कथन है कि विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा मूल आवेदन में दर्शाये गये तथ्यों को सही तरीका से नहीं देखा गया है। क्योंकि अपीलकर्त्तागण ने अपने मूल आवेदन में उल्लेख किया था कि अपीलकर्त्तागण के पैतृक जमीन के प्रत्येक दाग नंबर के आधा जमीन को उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा अवैध ढंग से कब्जा किया गया है। इसलिए उत्तरवादी प्रथम पक्ष को उस जमीन से उच्छेद किया जा सकता है। लेकिन निम्न न्यायालय ने उत्तरवादी प्रथम पक्ष को उस जमीन से उच्छेद नहीं किया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न

Scanned with CamScanner

न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए निम्न न्यायालय को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा पैरडीह नं0–511 जमाबंदी सं0–65 दाग नं0–100, 182, 206, 283/1098, 53, 56, 81, 183, 201, 205, 210, 248, 216, 534, 535 कुल रकवा 13–07–11 धुर जमीन गेंजर सेंटलमेंट पर्चा में मालो राय एवं साहेब राय पे0–मेघु राय के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत के द्वारा उक्त जमाबंदी की जमीन का मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण संथाल परगना मेनुअल 1911 के प्रावधाननुसार मूल रैयतों के विरूद्ध सरकार की ओर से आई0आर0ई0 केश नं0–138/31–32 श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में प्रारंभ हुआ। उक्त वाद के आदेशानुसार अपीलकर्त्तागण के पूर्वजों ने मालगुजारी नहीं चुकाया था। इसलिए अपीलकर्त्तागण के पूर्वजों को उक्त जमीन से उच्छेद किया गया। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा मालगुजारी का राशि चुकायी गयी।इसलिए उत्तरवादीगण के पूर्वजों के साथ उक्त जमाबंदी की कुल रकवा में से रकवा 06–12–07 धुर जमीन बंदोवस्त की गयी। उक्त बंदोवस्त जमीन पर न्यायालय के आदेशानुसार दखल दिहानी भी दिलाया गया। अंचल अधिकारी, गोड्डा के नामांतरण वाद सं0–159/60 के द्वारा उत्तरवादीगण के पूर्वजों के नाम से उक्त जमीन का नामांतरण भी हो गया है। उत्तरवादीगण के पूर्वजों की मृत्यु के बाद उक्त जमीन पर उत्तरवादीगण हकदार एवं दखलकार हुए तथा मालगुजारी चुका कर रसीदें हासिल करते आ रहें हैं। वर्त्तमान सर्वे सेटलमेंट पर्चा में भी उत्तरवादीगण का नाम दर्ज है। इस प्रकार अपीलकर्त्तागण का उक्त जमीन पर कोई हक या दखल नहीं रह गया है। उनका आगे कथन है कि उक्त जमीन के सम्बंध में अपीलकर्त्तागण की ओर से उत्तरवादीगण के विरूद्ध सबजज, गोड्डा के न्यायालय में टा0सूट नं0–84/95 भी दायर किया गया था, जिसमें उत्तरवादीगण के पक्ष में निर्णय दिया गया था तथा अपीलकर्त्तागण के आवेदन को खारिज किया गया था। उक्त टा0सूट के निर्णय के विरूद्ध अपीलकर्त्तागण की ओर से मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय में अपील दायर किया गया था, जो टा0अपील नं0–08/2005 दर्ज किया गया। उसे मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा ने सुनवाई के पश्चात दिनांक–01.03.2006 को खारिज कर दिया। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्तागण की ओर से उत्तरवादीगण पर उक्त जमीन से फसल लुटने का क्रिमिनल केश भी किया गया था, जो श्री डी0एन.0पाण्डेय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोड्डा के न्यायालय में टी0आर0नं0–305/97 कह कर ट्रायल हुआ। जिसमें न्यायालय ने उत्तरवादीगण को निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया गया। इसके अलावे अपीलकर्त्तागण की ओर से उक्त जमीन से बेदखल करने के लिए कई झूठा फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया था। सभी मुकदमा में उत्तरवादी को

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा बरी किया गया तथा अपीलकर्त्तागण के केश को खारिज किया गया। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादीगण के पूर्वज उक्त जमीन पर सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार न्यायालय द्वारा संथाल परगना मेनुअल 1911 के अनुसार विधिवत बंदोवस्त लेकर दखलकार हुए है। उनके मृत्यु उपरांत प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी के हैसियत से उत्तरवादीगण उक्त जमीन पर दखलकार हुए एवं शांतिपूर्ण ढंग से जोत आबाद कर रहे हैं। इसलिए उक्त जमीन से उत्तरवादीगण को उच्छेद करने का प्रश्न ही नही उठता है। अपीलकर्त्तागण की ओर से दायर अपीलवाद निराधार एवं अनावश्यक होने के कारण खारिज करने योग्य है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों अभिलेखबद्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा पैरडीह नं0–511, जमाबंदी सं0–65 रकवा 13–07–11 धूर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मालो राय वो साहेब राय वल्द मेघु राय कौम घटवाल सा0–देह के नाम दर्ज है। निम्न न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि उक्त जमाबंदी का मालगुजारी राशि बकाया होने एवं उस बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण आर0ई0आर0 केश नं0–138/31–32 के द्वारा अपीलकर्त्तागण के पूर्वज को उच्छेद किया गया था तथा प्रयाग मंडल एवं किसुन मंडल के द्वारा बकाया मालगुजारी राशि भुगतान करने के कारण आदेश दिनांक–07.02.1934 के द्वारा उक्त जमाबंदी के रकवा 06–12–07 धुर जमीन की बंदोवस्ती की गयी है तथा आदेश दिनांक–18.07.1934 के द्वारा दखल दिहानी भी दिलाया गया।इससे उत्तरवादीगण का उक्त जमीन पर दखल अवैध प्रतीत नहीं होता है। साथ ही अपीलकर्त्तागण की ओर से निम्न न्यायालय से भिन्न कोई अलग तथ्य या कागजात भी प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम के विपरीत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–66/16–17 में आदेश दिनांक–07.08.2019 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

10.03.21
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 14:55:22 +05:30
Location: 192.168.29.32

Scanned with CamScanner